यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
जादूगोड़ा

संख्या: यूसीआईएल/डीजीएम(पी&आईआर)/ /2024/ 11 मार्च, 2024

प्रेस विज्ञप्ति

हाल के दिनों में, जेनेरिक दवाएं खरीदने के यू.सी.आई.एल प्रबंधन के फैसले के हो रहे विरोध के सन्दर्भ में, निम्नलिखित तथ्य सभी लाभार्थियों के संज्ञान में लाए जाते हैं:

1. वर्तमान गतिरोध की स्थिति में दवाओं की आपूर्ति में देरी होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ-साथ यू.सी.आई.एल परिवार के सभी सदस्य गंभीर रूप से प्रभावित होंगे ।
2. यू.सी.आई.एल में जेनेरिक दवाओं के वितरण करने का निर्णय मुख्यतः DAE इकाइयों (BARC, NPCIL, IGCAR आदि) में प्रचलित व्ययस्था के अनुरूप लिया गया है। यह व्ययस्था सभी लाभार्थियों के लिए लागू होगा जिसमें यू.सी.आई.एल कर्मचारियों के साथ-साथ यू.सी.आई.एल अधिकारी, CISF, AECS के लाभार्थी आदि भी शामिल हैं।
3. यह स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि यदि किसी निर्धारित दवा का जेनेरिक उत्पाद उपलब्ध नहीं है तो गैर-जेनेरिक ब्रांडेड दवा की आपूर्ति की जा सकती है।
4. जैसा कि सिविल सर्जन, सिंहभूम (पूर्व) द्वारा पुष्टि की गई है, झारखण्ड सरकार के सभी अस्पतालों/स्वास्थ्य केंद्रों में केवल जेनेरिक दवाओं की ही आपूर्ति की जा रही है तथा जेनेरिक दवाओं की प्रभावकारिता गैर-जेनेरिक ब्रांडेड दवाओं के बराबर है।
5. भारत सरकार द्वारा जेनेरिक दवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए तथा जेनेरिक दवाओं का गैर-जेनेरिक दवाओं की तुलना में समान प्रभावकारिता के साथ-साथ कम लागत के कारण, अपनी विभिन्न योजनाओं के द्वारा जेनेरिक दवाइयों का वितरण किया जाता है ।
6. साथ ही,, जहां तक गैर-जेनेरिक ब्रांडेड दवाओं की तुलना में जेनेरिक दवाओं की प्रभावकारिता का सवाल है, अभी तक किसी भी सक्षम संस्था या व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रतिकूल दावे की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।
7. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यू.सी.आई.एल द्वारा जिन जेनेरिक दवाओं का ऑर्डर दिया जा रहा है वे सभी केवल प्रतिष्ठित निर्माताओं से ही होगा ।

अतएव, यू.सी.आई.एल प्रबंधन इस बात की पुष्टि करता है कि यू.सी.आई.एल के सभी लाभार्थियों के लिए जेनेरिक दवाएं खरीदने का निर्णय पूरी तरह से केंद्र/राज्य सरकार/डीएई इकाइयों में अपनाई जा रही व्ययस्था के अनुसार है और किसी भी लाभार्थी के हित के खिलाफ नहीं है।

इस संबंध में सभी का सहयोग अपेक्षित है।

यू.सी.आई.एल प्रबंधन

CBC 48134/12/0066/2324